



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43038-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 3916/2025

अनिल कुमार तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पुनीत भदौरिया

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : एन.के. पांडे (एस.सी.)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. पक्षों के अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत याचिका में उठाई गई शिकायत का निवारण हो गया है, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा कथित अतिक्रमण हटा दिया गया है; अतः, यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है।
2. किए गए निवेदनों के आलोक में, यह याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

25 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”